

उनवान:- किरोडी बनाम परसी
 दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

फर्द अहकाम

दिनांक
 10/23

वादी की ओर से श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट ने दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार टोडाभीम एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 17.11.2023 को पेश हो।

5095-6001

(सुनीता मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 टोडाभीम जिला गंगपुर सिटी

7-11-23

वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... पत्रावली गतानुसार दिनांक को पेश हो।

8-12-23

पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठासन अधिकारी... पत्रावली गतानुसार दिनांक को पेश हो।

20/12/23

वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... पत्रावली गतानुसार दिनांक को पेश हो।

23/24

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं० 1 लगा० 6 की नोटिस तामील स्कं व परिवारजनो से होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। बाबजूड सूचना कोई उप नहीं उठा। बार - 2 क्राफ्ट डिलाई गई। कोई उप नहीं उठा है इसलिए उन्त प्रतिवादीगण के खिलाफ एड तरफा कार्रवाही क्रम में लाई जाती है।
 वाले एवं प्रतिवादी नं० के चैरोकर सरकार उप०।
 वाले वादी लाज्ज पेश करने दिनांक 13.12.24 को पेश हो।



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर तोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
29-1-25	<p>पत्रापूर्वी पैसा डूही। वाडी सुप वाडी वशीव कोही उपवाण्ट नथी वा 2 भावाजि-दिखी गही हुसके उपवाण्ट गी पशु-सुप वाडी वशीव कोही उपवाण्ट नथी हुका-हुसके उमर दावा बापव स्वारी मिपेच्याहा वाडी सुप वाडी वशीव गी भादम पैवणी भादम हाकि मि स्वारीज मिना भाग छे। पत्रापूर्वी पैसाल सुभाट डोकल नमकाट से कम काट दाखिल डालछे</p>